

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2020/सेफ्टी (डीएम)6/14

नई दिल्ली, दिनांक 18.05.2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी

मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक,
सभी रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड
निदेशक, सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान


विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय।

**संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 25.03.2020, 07.04.2020, 13.04.2020, 14.04.2020,
15.04.2020 और 02.05.2020 के समसंख्यक पत्र।**

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 17.05.2020 के आदेश सं.40-3/2020-डीएम-1(ए) के तहत यह निदेश दिया है कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए इस समय लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 31.05.2020 तक बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन उपायों पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 18.05.2020 से लागू होंगे।

2. गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध और डाउनलोड की गई उक्त उल्लिखित नए आदेश और दिशा-निर्देशों की प्रतिलिपि सूचना तथा कड़ाई से अनुपालन के लिए संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त


(डिम्पी गर्गी)

कार्यपालक निदेशक / संरक्षा (एम)
रेलवे बोर्ड